



मुख्य मंत्री
राजस्थान

अ.शा.पत्र: CM-OSD(GSY)/LawUniv./2021/121
जयपुर, 22 जुलाई, 2021

प्रिय डॉ. देवस्वरूप जी,

आपके पत्र दिनांक 08.07.2021 द्वारा यह जानकारी प्रसन्नता हुई कि बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा एडवोकेट अधिनियम, 1961 की धारा 7(1)(i) के अन्तर्गत डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर को मान्यता प्रदान कर दी गई है।

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि हेतु विश्वविद्यालय की सम्पूर्ण टीम को हार्दिक बधाई।

विश्वविद्यालय अपने प्रगति पथ पर निरन्तर अग्रसर रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ।

सद्भावी,

(अशोक गहलोत)

डॉ. देवस्वरूप,

कुलपति, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय,
आरयूएसए भवन, डॉ. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग,
जयपुर - 302015